

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749]

No. 749]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2016/कार्तिक 5, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2016/KARTIKA 5, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 अक्टूबर 2016

सं.फेमा. 372/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 1015(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

5049 GI/2016

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में,

ए. अनुसूची 1 के अनुबंध "बी" में वर्तमान एफ़.1, एफ़.1.1 तथा एफ़.1.1.2 प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ़.1	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां					
एफ़.1.1	आस्ति	पुनर्निर्माण कंपनी	100%	स्वचालित		
एफ़.1.1.2	अन्य शर्तें :					
	(i)	भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) की पूंजी में स्वचालित				
		मार्ग के अंतर्गत 100% तक निवेश कर सकते हैं।				
	(ii)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) में स्पॉन्सर की शेयरधारिता समय-समय पर				
		यथासंशोधित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का				
		प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन होगा। इसी प्रकार संस्थागत/ गैर-				
		संस्थागत निवेशक भी समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे।				
	(iii)	किसी भी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक की कुल				
		शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से कम होगी।				
	(iv)	विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी पोर्टफालियो निवेशक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी				
		(ARC) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (SRs) में निवेश कर सकते हैं। विदेशी				
		संस्थागत निवेशक/ विदेशी पोर्टफालियो निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/				
		दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) द्वारा जारी की गई				
		प्रतिभूति रसीदों (SRs) की प्रत्येक श्रृंखला में 100% तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश				
		संबद्ध नियामक सीमा जैसा लागू हो के भीतर होने चाहिए।				
	(v)	सभी निवेश समय-समय पर यथासंशोधित वित्तीय	आस्तियों का प्रतिभ	पूतिकरण और		
		पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2	002 के प्रावधानों के	अधीन होंगे।		

बी. अनुसूची 5 में संशोधन

- (i) पैराग्राफ 1 में, वर्तमान खंड (ई) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
 - "(ई) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की प्रत्येक शृंखला में 100 प्रतिशत तक।"
- (ii) पैराग्राफ 1 बी के उप-पैराग्राफ (iii) में वर्तमान खंड (जी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

- "(जी) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की प्रत्येक शृंखला में 100 प्रतिशत तक।"
- (iii) पैराग्राफ 1 सी के उप-पैराग्राफ 1 में वर्तमान खंड (ई) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
 - "(ई) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARCs) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की प्रत्येक शृंखला में 100 प्रतिशत तक।"

[F.No.1/17/ ई एम /2016] रोहित जैन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.िन. सं. 406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005

सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014

सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015 सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015 सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015 सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015 सा.का.नि. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015 सा.का.नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016 सा.का.नि. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th October, 2016

No.FEMA.372/ 2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 1015 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000),

A. In Schedule 1, in Annex B, the existing entries F.1, F.1.1 and F.1.1.2 shall be substituted by the following:

F.1	Asset Reconstruction Companies						
F.1.1							
	Asset Reconstruction Company	100%	Automatic				
F.1.1.2	Other Conditions						
	(i) Persons resident outside India can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs), up to 100% under the automatic route.						
	(ii) Investment limit of a sponsor in the shareholding of an ARC will be governed by the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, as amended from time to time. Similarly, investment by institutional/non-institutional investors will also be governed by the said Act, as amended from time to time.						
	(iii) The total shareholding of a single FII/FPI shall be below 10% of the total paid-up capital.						
	(iv) FIIs/FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs. FIIs/FPIs may be allowed to invest up to 100 per cent of each tranche in SRs issued by ARCs, subject to directions/guidelines of Reserve Bank of India. Such investment should be within the relevant regulatory cap as applicable.						
	(v) All investments would be subject to provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, as amended from time to time.						

- B. Amendment of the Schedule 5
- (i) In Paragraph 1, for the existing clause (e), the following shall be substituted, namely:
 - "(e) Security Receipts (SRs) issued by Asset Reconstruction Companies up to 100 per cent of each tranche, subject to directions/guidelines of Reserve Bank of India".
- (ii) In paragraph 1B, in sub paragraph (iii), for the existing clause (g), the following shall be substituted, namely:
 - "(g) Security Receipts (SRs) issued by Asset Reconstruction Companies up to 100 per cent of each tranche, subject to directions/guidelines of Reserve Bank of India".
- (iii) In paragraph 1C, in sub paragraph 1, for the existing clause (e), the following shall be substituted, namely: "(e) Security Receipts (SRs) issued by Asset Reconstruction Companies up to 100 per cent of each tranche, subject to directions/guidelines of Reserve Bank of India"

[F.No.1/17/EM/2016]

ROHIT JAIN, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003

G S D No. 925(E) dated 22 10 2002	G S P No 506(E) dated 06 00 2012
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013 G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013	G.S.R.No. 983 (E) dated 17.12.2015
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013	G.S.R.No. 165 (E) dated 15.02.2016
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013	G.S.R.No. 166 (E) dated 15.02.2016
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013	G.S.R.No. 369 (E) dated 30.03.2016
G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013	G.S.R.No. 537 (E) dated 20.05.2016